योगी सरकार की यूपी सुगम व्यापार(प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश मसौदे को मंजूरी

अब उद्यमियों पर नियमों के उल्लंघन में केवल जुर्माना

10 प्रमुख अधिनियमों में 99% आपराधिक प्रावधान खत्म किए

कैबिनेट फैसला

नई व्यवस्था में सजा समाप्त कर सिर्फ आर्थिक दंड-प्रशासनिक कार्रवाई

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख अधिनियमों में करीब 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए हैं। नई व्यवस्था में सजा की व्यवस्था समाप्त कर उसके स्थान पर सिर्फ आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में व्यापार को करना आसान और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना है। इसके लिए लाइसेंस औपचारिकताएं सरल होंगी, निरीक्षण-प्रक्रिया पारदर्शी होगी और निवेशकों को डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट बाई सुर्कलेशन से मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम में छह माह के कारावास की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 75 हजार और दोबारा उल्लंघन पर दो लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। अध्यादेश में प्रावधानों के अनुसार आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, गन्ना अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम और पंचायत अधिनियम जैसे कई कानूनों में बदलाव किए गए हैं। इसमें पहले नियमों के छोटे-छोटे उल्लंघनों पर जेल या सजा का प्रावधान था। उसके स्थान पर अब भारी जुर्माना और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं। निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली अपनाई जाएगी। इन सुधारों से जहां उद्योगों का बोझ कम होगा, वहीं श्रमिकों का हित भी सुरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन पर पहली बार 75 हजार और दूसरी बार दो लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये से लेकर एक करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। औद्योगिक शांति मजदूरी का यथासमय भुगतान न करने के नियमों का उल्लंघन पर जांच के अनुसार दंड की व्यवस्था की गई है। अर्हता बदली P02

लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु चरण यात्रा का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री हरदीपपुरी की मौजूदगी में योगी का सम्मान हुआ।

ऐसे लगेगा जुर्माना

अग्नि निवारण-अग्नि सुरक्षा अधिनियम उल्लंघन पर पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान होगा। यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक अर्थदंड का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 75 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

अयोध्या में ₹ 8,594 करोड़ से होगा विकास

लखनऊ। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अयोध्या की जनसंख्या लगभग 11 लाख है, जो 2031 तक लगभग 24 लाख और 2047 तक 35 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए नई आवासीय टाउनशिप, भव्य प्रवेशद्वार, बहुस्तरीय पार्किंग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस मार्ग, रिंग रोड, एयरपोर्ट, टेंपल म्यूज़ियम, सौर ऊर्जा संयंत्र, होटल विकसित किए जाएं। अयोध्या में 159 निवेश परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 8 हजार 594 करोड़ का निवेश होने की संभावना है। ब्योरा P08

समूह 'क' की साक्षात्कार से भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा

लखनऊ। सरकार ने साक्षात्कार से समूह 'क' के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने को स्क्रीनिंग परीक्षा का फैसला किया है। इसके 75% और साक्षात्कार के 25% अंक जोड़कर परिणाम घोषित होगा। इस आधार पर चयनितों को नियुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सकुर्लेशन से इसे मंजूरी दी। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा के माध्यम से सीधी भर्ती (स्क्रीनिंग परीक्षा) नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई।

आगे क्या

विभागों से मिले पदों के प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद साक्षात्कार कराएगा। इसके लिए अलग-अलग पैनल होंगे। इसमें मिले अंकों, स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर परिणाम जारी किया जाएगा।